



संजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

आदेश संख्या: SHSB/GA/HR/7205/2021/229

पटना, दिनांक:13/04/2022

-: आदेश :-

विज्ञापन संख्या-09/2021 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत NTEP कार्यक्रम के तहत Microbiologist-C&DST के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को एकमुश्त मानदेय रू० 41,000/- (एकतालीस हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह पर नियोजन हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/लैब के अधीन पदस्थापन किया जाता है। इनकी नियुक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

क्र. सं.	रजिस्ट्रेशन नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्मतिथि	चयनित कोटि	पदस्थापन लैब
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	21090236	RASHMI KUMARI	02-02-1987	UR-F	IRL LAB (TBDC), PATNA
2	21090228	PRIYA KUMARI	01-01-1984	SC	C&DST LAB, VIMS, PAWAPURI
3	21090259	SRISTI KUMARI	26-09-1996	BC	C&DST LAB, JLNMC, BHAGALPUR
4	21090207	MD. ABU MUSHTAQUE	20-12-1993	EWS	IRL LAB (TBDC), PATNA
5	21090209	AMITA CHANDAN	14-02-1988	MBC-F	C&DST LAB, IGIMS, PATNA

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि :-

- दिनांक 14 मई, 2022 तक उपरोक्त अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में आवंटित लैब में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- उक्त तिथि तक योगदान नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् रू० 1,000/- का Non Judicial स्टाम्प पेपर पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के साथ एकरारनामा सम्पन्न करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
- यदि सरकारी सेवा या किसी अन्य सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं अथवा अनुबंध पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायेगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 60 (साठ) वर्ष की आयु तक के लिए या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत Record of Proceeding (RoP)





- में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि की उपलब्धता होने तक, जो भी पहले हो, के आलोक में सक्षम स्तर से निर्णय के अनुरूप संविदा अवधि का विस्तार किया जा सकेगा।
- vi) चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
- vii) आवंटित लैब में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii) उक्त अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जाएगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

3. संबंधित लैब के अधीक्षक/निदेशक को निदेश दिया जाता है कि वे चयनित Microbiologist-C&DST का योगदान स्वीकृत करेंगे तथा योगदान के तुरंत बाद उन्हें संबंधित Lab में पदस्थापित करेंगे।

(संजय कुमार सिंह)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/7205/2021/...229...

पटना, दिनांक: ...13.../04/2022

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशासी पदाधिकारी/सभी उप सचिव/अपर निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी-NTEP, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित लैब के अधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी नवचयनित Microbiologist-C&DST को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि वे संबंधित लैब के अधीक्षक/निदेशक के समक्ष ससमय अपना योगदान को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि: सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

